



Presented on : 12-07-2010
 Registered on : 12-07-2010
 Decided on : 31-03-2021
 Duration : 10years, 8month,20 days

न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
 कोर्ट सं-2 , शिकोहाबाद, फ़िरोजाबाद
 उपस्थिति - प्रज्ञा पाराशर (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
 दांडिक वाद संख्या - 3137/2010

उत्तर प्रदेश की ओर से पुलिस थाना एका, फ़िरोजाबाद

..... अभियोजक
 बनाम

- 1 सोरन सिंह पुत्र तौफान सिंह (फौत दौरान ए वाद)
 - 2 उमेश पुत्र सोरन सिंह
 - 3 दिनेश पुत्र सोरन सिंह
 - 4 प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश (फौत दौरान ए वाद)
 - 5- मुन्नालाल पुत्र प्रकाश सिंह
- समस्त निवासीगण फरीदा थाना एका, फ़िरोजाबाद

.....अभियुक्तगण

अपराध संख्या - 148/1993
 धारा -147,148 323,504 भारतीय दंड संहिता
 थाना - एका
 जिला - फ़िरोजाबाद

निर्णय

1-प्रस्तुत वाद अभियुक्तगण सोरन सिंह, उमेश, दिनेश, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश और मुन्नालाल के विरुद्ध पुलिस थाना एका द्वारा आरोप पत्र अंतर्गत धारा- 147,148 323 और 504 भारतीय दंड संहिता प्रेषित करने पर आरंभ हुआ।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोजन साक्षी संख्या-2 मुन्नेश ने इस आशय की एक तहरीर प्रदर्श क 1 इस आशय की दी कि दिनांक 20-8-93 को समय करीब 8.30 बजे जब वह अपने मकान के सामने खरंजे से कीचड़ और मिट्टी को साफ कर रहा था तभी गांव के सोरन सिंह, उमेश, दिनेश, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश और मुन्नालाल लाठी डंडा लेकर आए और कहने लगे कि क्या तेरे बाप का खरांजा है, उसे क्यों साफ कर रहा है? और गालियां दी और

जब वादी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण लाठियों से उसे मारने लगे। जब उसे बचाने उसकी मांग गया देवी और बहन सरला देवी आई तो उन्हें भी मारा पीटा तभी गांव के साबू, चंद्रपाल और गांव के अन्य लोग आए और उसे बचाया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्शक 1 के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हज पर मुकदमा अपराध संख्या 148/1993 कायम किया गया जिसकी विवेचना एस आई डी पी सिंह द्वारा की गई जिन्होंने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

3- अभियुक्तगण को आरोप के बिंदु पर सुना गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 147, 148 323 और 504 भारतीय दंड संहिता विरचित किया गया। जिसे उन्हें सुनाया गया और समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। दौरान वाद अभियुक्तगण सोरन सिंह और प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई जिनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गई।

4- अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में निम्न व्यक्तियों को परीक्षित कराया गया है -

- 1- अभियोजन साक्षी संख्या 1 गया देवी (चोटिल)
- 2- अभियोजन साक्षी संख्या 2 मुनेश (वादी एवम् चोटिल)
- 3- अभियोजन साक्षी संख्या 3 सरला (चोटिल)
- 4- अभियोजन साक्षी संख्या 4 साहब सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी)

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्शक 1 उपलब्ध कराई है।

5- अभियोजन पक्ष को शेष गवाह पेश करने का बार बार अवसर दिया गया लेकिन अभियोजन की तरफ से साक्ष्य परीक्षित न कराने के कारण अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया और पत्रावली धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के लिए नियत की गई। अभियुक्तगण का कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। उन्होंने अभियोजन कथानक से इंकार किया। और रंजिश के कारण मुकदमा चलना बताया और कोई सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

6- मेरे द्वारा उभयपक्ष को सुना गया और सम्पूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

7- प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 147, 148 323 और 504 भारतीय दंड संहिता का आरोप लगाया गया है।

8- अभियोजन पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी संख्या 1 गया देवी को परीक्षित कराया है जो वादी मुकदमा की मांग है और घटना में चोटिल भी है। उसने सशपथ कथन किया कि करीब 20-22 वर्ष पहले सुबह 8 बजे की की बात है। अभियुक्तगण सोरन, उमेश, मानपाल व प्रकाश ने उसके लड़के मुनेश को मारा पीटा। गवाह ने बचाया तो उसे भी मारा पीटा। सभी लोगों ने लाठी - डंडे से मारा पीटा। बस्ती के लोग बचाने आए थे। गालियां भी दी थी। गांव के साहब सिंह और बहुत से लोग आए जिन्होंने बचाया था। मार पीट में सरला और मुनेश के चोटें आई थी। गवाह कमर में डंडा मारा दिया था। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा कि मौके पर कौन कौन आ गया था, याद नहीं है। बहुत दिन पहले की बात है। मुल्जिमान के पास कुछ पर लाठी कुछ पर डंडे थे। ये सुबह 8 बजे की बात है। सही ध्यान नहीं है कि उसके मकान का दरवाजा किस दिशा में है। सामने किसी का नहीं है। वह सड़क पर रहती है। वह मुस्तफाबाद से फरीदा को गई सड़क में रहती है। उसे थाने विधायक के लड़के ले गए थे। विधायक के कहने पर



मुकदमा कायम हुआ था। मुल्जिमान विधायक के खिलाफ पार्टी के हैं तथा उन्हें वोट नहीं देते हैं। वह विधायक की पार्टी की है। उसके मकान के पास विधायक का मकान नहीं है। दूर से विधायक को जानती है। हरदयाल के लडके हैं। उसे नहीं पता की डाक्टरी परीक्षण कौन से अस्पताल में हुआ था और मुन्नेश व सरला ने कब दवाई ली थी। सोरन सिंह की उम्र 90 वर्ष होगी। उसने किसी से रंजिश होने से इंकार किया और कहा उसे ध्यान नहीं है दरोगा जी ने उसका बयान लिया था या नहीं। उसे यह भी ध्यान नहीं है मौके पर कौन कौन लोग आ गए थे। वह आने वालों की गिनती भी नहीं बता सकती है। उसे थाने से विधायक घर छोड़ गए थे। इसके अलावा वह कहीं नहीं गई थी। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान पर झूठा मुकदमा लिखवाया है। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई हो। विधायक के कहने पर झूठा मुकदमा लिखाया हो तथा रंजिश के कारण झूठी गवाही दे रही है।

9- अभियोजन साक्षी संख्या 2 मुन्नेश जो वादी मुकदमा है, उसने सशपथ कथन किया कि घटना सुबह 8 बजे की साढ़े 18 वर्ष पूर्व हुई थी। वह उस समय नाली साफ कर रहा था। उस समय सोरन सिंह, उमेश, दिनेश, प्रकाश सिंह और मुन्नालाल आए और आते ही मारना पीटना शुरू कर दिया। डंडों से मारा पीटा। गालियां दी थी और कहा कि खरंजा तेरे बाप का है। गांव वालों ने बचाया था। उसकी मार पीट के समय उसकी मां व उसकी बहन सरला देवी आ गए थे। इन सभी ने उनको भी मारा पीटा। बचाने के लिए सुभाष सिंह, चंद्रपाल और गांव के बहुत से लोग आ गए थे। रिपोर्ट उसने गांव के शिवप्रताप सिंह से लिखवाकर दी थी। उस पर उसने अपने हस्ताक्षर बनाए थे जिसके असली होने की उसने पुष्टि की और तहरीर पर प्रदर्शक 1 डाला गया। उसने कहा कि उसकी, उसकी मां और उसकी बहन सरला देवी की डाक्टरी हुई थी। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा कि चंद्रपाल उसके परिवार के हैं। सुभाष भी उसके परिवार के हैं। रिश्ते में उसके चाचा लगते हैं। थाने रिपोर्ट लिखने वह 7.30 बजे पहुंचा था। रिपोर्ट उसने थाने में ही लिखी थी। थाने पर वह, उसकी मां और बहन थी और कोई नहीं था। फिर कहा कि थाने में गांव का एक आदमी टिक्लू था। थाने से वह घर आए। वह पढ़ा लिखा नहीं है। मजदूरी करता है। दरोगा जी उसी दिन इत्तवासी करने गए थे। घटना के समय ईट पड़ी थी। मकान नहीं बना था। मकान अभी बनवाया है। उसका मकान जो अब बना है उसके दो दरवाजे हैं - एक पूर्व और एक उत्तर में है। घटना के समय बाउंड्री हो रखी थी। दरवाजे की जगह ईट लगी थी। चारों तरफ घिरा नहीं था। उसके मकान के उत्तर और पूर्व में रास्ता है। पश्चिम में गेट चढ़ा है। दक्षिण में मकान नहीं है। खेत हैं। उसके सामने किसी का मकान नहीं है। मकान के पीछे मुल्जिमान का मकान है। मुल्जिमान के मकान की दीवार उसके मकान से चिपकी नहीं थी। मुल्जिमान उत्तर दिशा से आए थे और मार पीट कर उत्तर दिशा की ओर चले गए थे। उसे मुल्जिमान ने डंडे घूंसे मारे थे। सोरन सिंह के हाथ में डंडा था। बाकी सब ने घूंसे मारे थे। जब झगड़ा हुआ तो खरंजे और नाली पर मुल्जिमान का कोई मकान नहीं था। दरोगा जी ने दो तीन दिन बाद पूछताछ की। उसने दरोगा जी को झगड़ा वाला स्थान दिखाया था। दरोगा जी ने उसके सामने नक्शा बनाया था। मुल्जिमान ने डंडा पेट में और पीठ में मारा था। टेंटिया पकड़ कर सोरन सिंह ने उसे गिरा दिया था। कमर, पीठ व गले पर निशान पर गए थे। डंडे के निशान थे। घूंसे की चोट गाल पर उछल आई थी। डाक्टरी सरकारी अस्पताल में हुई थी। डाक्टरी दूसरे दिन हुई थी। वह थाने पर जीप से गया था। जीप विधायक बलवीर सिंह की थी। उनका लडका जीप चलाकर ले गया था। झगड़े की बात सुनकर वह घर आ गया था। गवाह घटना वाले दिन थाने में 12-1 बजे तक रुका था। उसके बाद जीप से घर चला गया था। डाक्टरी करने नहीं गया था। दूसरे दिन डाक्टरी कराने की वजह वह नहीं बता सकता है। मौके पर घटना के समय काफी भीड़ थी। लेकिन वह उनके नाम नहीं बता

सकता है। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमान पर झूठा मुकदमा लिखवाया है। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई हो। विधायक के कहने पर झूठा मुकदमा लिखाया हो तथा रंजिश के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

10- अभियोजन साक्षी संख्या 3 सरला देवी ने सशपथ कथन किया कि - आज से करीब 18 वर्ष पूर्व की बात है। सुबह के 8 बजे उसका भाई मुन्नेश घर के आगे नाली व खरंजा साफ कर रहा था। इतने में उसके गांव के सोरन सिंह, उमेश, दिनेश, प्रकाश और मुन्नालाल आए और आते ही उसके भाई से कहा कि क्या तेरे बाप का खरंजा है व गाली गलौज दी। उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो सारे लोगों ने, किसी ने लाठी से किसी ने डंडे से मारा पीटा। वह मुन्नेश को बचाने गई तो उसे भी मारा पीटा। गांव के बहुत सारे लोग आ गए थे तो उन्होंने बचाया। इस मार पीट में उसके और उसके भाई के चोटें आई थी। रिपोर्ट उसके भाई ने थाने में लिखवाई थी। चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल एका में कराया था। वह थाने शाम को गई थी। शाम 4 बजे पहुंची थी। वह, उसकी मां व मुन्नेश गए थे। कैसे गए थे, गाड़ी से या पैदल, उसे याद नहीं है। वह एका बस से जाती है। उसके गांव से एका 1 किमी होगा। मैं करीब 4 बजे पहुंची तब धूप थी। उन तीन के अलावा और कोई नहीं था। वह बीमार रहती है इसलिए ध्यान नहीं रहता है। उसे ध्यान है सोरन के पास डंडा, मुन्नालाल के हाथ में डंडा व उमेश के हाथ में लाठी थी। दिनेश और प्रकाश के हाथ में क्या था, वह नहीं देख पाई। उसके पिता के मकान से सोरन सिंह के मकान की दीवार लगी है। दिशा नहीं मालूम है। गंगा की तरफ की दीवार लगी है। उसके मकान का दरवाजा जमुना की तरफ है। जमुना की तरफ ही खरंजा है। उसका मकान एका को जाने वाली सड़क पर बना है। उसी रोड पर आगे बलदीर सिंह का मकान बना है। जब झगड़ा हुआ था तब सिर्फ एक उसका ही मकान बना था। सड़क चौड़ी नहीं थी छोटी ही थी। जब झगड़ा हुआ तब केवल दो कमरे बने थे। अगले दिन करीब 12-1 बजे वह एका गई थी। दरोगा जी सरकारी अस्पताल डाक्टरी कराने ले गए थे। उससे दरोगा जी ने जब थाने गई तो पूछताछ की थी। उसके बाद कोई पूछताछ नहीं की थी। वह प्रताप सिंह फरीदा विधायक के लड़के को नहीं जानती। अगर दरोगा जी ने शिव प्रताप सिंह फरीदा विधायक के लड़के से शिकायत करने की बात बात अंकित की है तो वह वजह नहीं बता सकती। वह ये भी नहीं बता सकती के विधायक के लड़के के साथ होने वाली बात कैसे लिखवा दी। उसे यह जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट किसने लिख कर दी। उसके कई चोटें पीठ और कंधे पर आई थी। 8-10 चोटें आई थी। वह बेहोश होकर गिर गई थी। यह कहना गलत है कि वह मुन्नेश की बहन होने के कारण झूठी गवाही दे रही है।"

11- अभियोजन साक्षी संख्या 4 साहब सिंह जो घटना का चक्षु साक्षी है उसने सशपथ कथन किया कि - उसके सामने सोरन, उमेश, दिनेश, प्रकाश और मुन्नालाल ने मुन्नेश और उसकी मां गया देवी और उसकी बहन सरला देवी के साथ कोई गाली गलौज नहीं की, न ही लाठी डंडे से मारा पीटा, न ही मेरे सामने कोई खरंजा उखाड़ा गया। इस स्तर पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायलय की अनुमति से उसकी परीक्षा ली गई तो उसने कहा - दिनांक 20-9-93 को सुबह 8.30 उसने मकान के सामने खरंजे पर मुन्नेश, गया देवी व सरला देवी के साथ मार पीट और गाली गलौज की घटना नहीं देखी। चोटें कैसे आ गई, ये वह नहीं बता सकता। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया। गवाह को धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान पढ़कर सुनाए गए तो उसने कहा उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

12- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस करते हुए यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने तहरीर साबित की है। बाकी साक्षियों ने अपने बयान से घटना को साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए।

13- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने सबसे पहले तर्क दिया की कि मुन्नेश पड़ा लिखा नहीं है। तहरीर थाने में किसने लिखी, उसका नाम पता नहीं है, न ही उसे न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। तहरीर में नामित साक्षी साबू और चंद्रपाल को भी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। घटना स्थल के बारे में अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने मकान की दिशा बताने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने कहा है घटना के समय मकान नहीं था यहां तक कि अभियोजन साक्षी संख्या 3 मकान की सही स्थिति नहीं बता सकी। और जो स्थिति बताई है वह नक्शा नजरी से अलग है।

14- इस सम्बन्ध में साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहरीर पर ही तहरीर लेखक शिव प्रताप सिंह का नाम लिखा हुआ है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपनी परीक्षा में कहा है कि थाने विधायक के लड़के लेकर गए थे और उन्हीं के कहने पर मुकदमा हुआ था।

15- अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने अपनी परीक्षा में पहले कहा कि थाने पर वो, उसकी मां और उसकी बहन के अलावा कोई और नहीं था फिर बाद में कहा की वह थाने जीप में गया था। जीप विधायक बलबीर सिंह का लड़का चला कर ले गया था। वो थाने साथ गया था। लेकिन अभियोजन साक्षी संख्या 3 ने अपनी परीक्षा में कहा है कि वह विधायक के लड़के को नहीं जानती। वह ये बात नहीं बता सकती कि विधायक के लड़के के साथ गए होने की बात कैसे लिख दी। इस प्रकार 3 में से 2 अभियोजन साक्षी के अनुसार उन्हें थाने विधायक का लड़का शिव प्रताप सिंह लेकर गया था जबकि 1 साक्षी ने यह शिव प्रताप सिंह की थाने में मौजूदगी से इंकार किया है। विजय @चाइनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या 660/2008(27 जुलाई 2010) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ऐसी तुच्छ मामलों पर मामूली विसंगतियां को जो अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं करती हैं, के आधार पर न्यायालय को सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

16- ऐसा ही मत राज्य बनाम सर्वानिन और अन्य, ए.आई.आर 2019 एस.सी 152 में न्यायालय द्वारा अपनाया गया था।

17- यहां न्यायालय का यह मत है की विधायक के लड़के शिव प्रताप सिंह का थाने पर मौजूद होना या न होना तहरीर की सत्यता पर प्रभाव नहीं डालता। जैसा कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपनी परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह विधायक की पार्टी से है और अभियुक्तगण विधायक की विरोधी पार्टी से हैं तो संभव है की जब अभियुक्तगण और वादी में झगड़े की बात सुनी हो तो विधायक ने अपनी पार्टी के लोगों की मदद की हो। जहां तक प्रश्न साक्षियों के साक्ष्य में विसंगति का है वहां ध्यान देने योग्य बात यह भी है की घटना के लगभग 18 वर्ष बाद न्यायालय में आकर गवाही दी गई है। सभी साक्षी गांव के रहने वाले एनोस लोग हैं। उन्हें दिशा का कहा ज्ञान न होना साधारण बात है। ऐसे में सभी साक्षियों के साक्ष्य बिलकुल समान होना संभव ही नहीं है।

18- अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि घटना सुबह 8.30 बजे की है जबकि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट रात के 8.30 बजे दर्ज कराई गई है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 1 किमी है जिसका तात्पर्य है की घटना के इतने समय बाद रिपोर्ट सोच समझ के रंजिश के तहत कराई गई है।

विधि व्यवस्था तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर 1991 एस.सी 63 में धारित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी स्वयं अभियोजन कथानक पर संदेह करने के लिए कोई आधार नहीं है।

19- इस तरह यह सुस्थापित है कि FIR दर्ज कराने में देरी अपने आप में अभियोजन कथानक पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकती। जैसा कि विदित है की मामला 1993 का है। भारतीय स्थितियों में हम यह उम्मीद नहीं कर सकते के ग्रामीण परिवेश का आदमी घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन की ओर भागे। उससे घटना के समय पूरी तत्परता के साथ यंत्रवत कार्य करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कभी कभी विपत्ति के कारण, दुखी होने के कारण यह संभव है कि उसे सोचने समझने में कुछ समय लगे और पुलिस स्टेशन जाने में देरी हो जाए।

20- अतः सिर्फ एफआईआर में हुई देरी के कारण अभियोजन कथानक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता यदि उसकी पुष्टि न्यायालय में दिए गए साक्ष्य से हो जाती है।

21- इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा विवेचना के किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह साफ दर्शित होता है कि मुझसे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियोजन पक्ष को साक्ष्य पेश करने का भरपूर अवसर दिया था।

बहादुर नायक बनाम बिहार राज्य, 2000 जे.सी आर.सी 312 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि गवाहों की गवाही में कोई विरोधाभास नहीं है तो विवेचक का परीक्षित न कराया जाना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा।

22- मेरे मत में ऐसे मामलों में न्यायालय को यह सतर्कता बरतनी चाहिए की किए कहीं विवेचक को परीक्षित न कराए जाने से अभियुक्तगण के साथ कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा। पुलिस द्वारा मजरूबों का चिकित्सीय परीक्षण तो कराया गया लेकिन अभियोजन द्वारा डाक्टर को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। और जिन साक्षियों को परीक्षित कराया है वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा जिस स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है, वह पक्षद्रोही हो गया।

जयबलान बनाम संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, 2010(68) ए.सी.सी 308(एस.सी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि " हमारे विचार में ऐसे मामलों में जहां न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करना है वहां न्यायालय की दृष्टिकोण रुढ़िवादी नहीं होना चाहिए। न्यायालय को ऐसा साक्ष्य का मूल्यांकन और स्वीकार करते समय सावधान रहना चाहिए। न्यायालय का प्रथम प्रयास निरंतरता की तलाश होनी चाहिए। किसी गवाह का साक्ष्य सिर्फ इस वजह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह पीड़ित व्यक्ति का नजदीकी है।"

23- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि अभियोजन द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी चंद्रपाल और साधो सिंह को परीक्षित नहीं कराया गया है इसलिए अभियोजन साक्ष्य को संदेह की नजर से देखा जाना चाहिए और केवल चोटिल साक्षियों को परीक्षित कराया गया है अतः केवल उन लोगों की गवाही से घटना साबित नहीं होती गई लेकिन मेरी राय में इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 2 एस.सी.सी 455 में निर्धारित किया गया कि दांडिक वाद में साक्षियों की संख्या नहीं उनकी गुणवत्ता महत्त्व रखती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अनुसार भी किसी मामले में तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की विशिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता की मात्र चोटिल व्यक्तियों की गवाही पर अभियुक्तगण को दोषी साबित नहीं किया जा सकता।

24- अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण के ऊपर जिन धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाया गया है, क्या उनके द्वारा इस धारा के अंतर्गत उन अपराधों को कारित किया गया है?

अभियुक्तगण पर धारा 147, 148 323, 504 भारतीय दंड संहिता का आरोप लगाया गया है।

25- धारा 147 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलवा करने के लिए दंड बताया गया है। बलवे को धारा 146 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार जब कभी विधिविरुद्ध जनसमूह के सामान्य उद्देश्य को अभियोजित करने में उस विधिविरुद्ध जनसमूह या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जनसमूह का हर सदस्य उपद्रव करने के अपराध का दोषी होता है।

26- सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य यह नहीं है कि सभी अभियुक्तगण घटना के सम्बन्ध में पहले से योजना बना के गए थे बल्कि सामान्य उद्देश्य से तात्पर्य है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा घटना में भाग लिया हो।

27- मामले के परिशीलन से स्पष्ट है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 5 होती है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण की संख्या घटना के समय 5 थी। पांचों लोग एक साथ सामान्य उद्देश्य से वादी मुन्नेश के पास पहुंचे थे। और उनमें से कुछ के हाथ में लाठी कुछ के हाथ में डंडे थे। उनके द्वारा मुन्नेश के साथ मार पीट की गई। मुन्नेश को जब उसकी मां और बहन बचाने गईं तो उनके साथ भी मार पीट की। इस प्रकार इस धारा में परिभाषित सभी तत्वों की पूर्ति होती है। इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि 5 में से 2 अभियुक्त की इस समय मृत्यु हो चुकी है। जो बात तात्त्विक है, वह यह है कि घटना के समय सभी अभियुक्तगण मौजूद थे और उन सब के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में मार पीट की गई थी। जैसा कि विदित है यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा मारपीट की गई हो या समान मात्रा में बल का प्रयोग किया गया हो।

28- इस धारा के अधीन दोषसिद्धि के लिए काफी है कि सारे अभियुक्तगण एक साथ आए और सभी ने अपराध के समय सक्रिय रूप से भाग लिया गया हो।

29- उपरोक्त परिशीलन के आधार पर अभियुक्तगण उमेश, दिनेश और मुन्नालाल धारा 147 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

30- धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो भी कोई घातक आयुध, या किसी ऐसी चीज, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, से सज्जित हो कर उपद्रव करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

इस धारा के लिए सबसे आवश्यक तत्व है कि व्यक्तियों द्वारा घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा किया गया हो।

31- खतरनाक आयुध को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। खतरनाक आयुध से तात्पर्य आमतौर पर ऐसे वस्तु, पदार्थ या उपकरण से होता है जिसके प्रयोग से मृत्यु होने की संभावना होती है या जिससे मृत्यु आसानी से कारित की जा सकती है।

32- इस मामले में सभी अभियोजन साक्षी द्वारा कहा गया है कि अभियुक्तगण के हाथ में लाठी डंडे थे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि लाठी डंडे को खतरनाक आयुध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि लाठी डंडों के अत्यधिक क्रूरतापूर्ण इस्तेमाल से मृत्यु कारित हो सकती है लेकिन इस मामले में न हो चोटिलों द्वारा अपने साक्ष्य में

किसी गंभीर चोट का वर्णन किया गया है न ही कहीं साक्ष्य में यह कहा गया है कि घटना से उनका जीवन को कोई संकट उत्पन्न हुआ।

33- इस प्रकार उपरोक्त परिशीलन के आधार पर पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्तगण को धारा 148 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जा सके।

34- धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अनुसार, जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से साधारण चोट पहुँचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या 1000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

35- इस मामले में अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2 व 3 तीनों ने ही अपनी गवाही में मार पीट का कथन किया था। उनका पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में परीक्षण भी कराया गया था। हालांकि धारा 323 भारतीय दंड संहिता में वर्णित चोट की प्रकृति साधारण है और इसके लिए चिकित्सीय परीक्षण को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ली गई प्रति परीक्षा में भी मार पीट की घटना का खण्डन निकल कर नहीं आया है। इस तरह मार पीट के बारे में पत्रावली पर अखंडित साक्ष्य उपलब्ध है। यहां तक कि अभियोजन साक्षी संख्या 4 साहब सिंह ने अपनी प्रति परीक्षा में कहा कि उसे नहीं पता कि मुन्नेश गया देवी और सरला के चोटें कहा से आईं। इस तरह पक्षद्रोही साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्वयं यह स्वीकार किया गया कि कि मुन्नेश, गया देवी और सरला देवी को चोटें आई थीं।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण धारा उमेश दिनेश और मुन्नालाल धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

36- धारा 504 भारतीय दंड संहिता के अनुसार – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित / गाली गलौज करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

इस मामले में अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2 व 3 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा उन्हें गली गलौज दी गई थी। गवाहों ने यह भी कहा है कोई सोरन सिंह ने आते ही पहले उनसे कहा कि क्या ये तेरे बाप का खरंजा है। इस तरह साफ है कि अभियुक्तगण ने मुन्नेश को अपमानित करने के आशय से उससे अपशब्द कहे और गली गलौज की। अतः अभियुक्तगण उमेश दिनेश और मुन्नालाल धारा 504 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

37- समग्र परिशीलन के पश्चात न्यायालय का यह मत कि कुछ तुच्छ विरोधाभास को छोड़ कर अभियोजन पक्ष धारा 147, 323 और 504 भारतीय दंड संहिता के मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतएव अभियुक्तगण उपरोक्त ऊपर वर्णित धाराओं दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण उमेश, दिनेश और मुन्नालाल को धारा 147, 323 और 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र और प्रतिभू निरस्त कर जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली परीक्षा/दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु थोड़ी देर बाद पेश हो।

पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी और अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को परिचीक्षा/दंड के प्रश्न पर सुना।

विद्वान अधिवक्ता दोषसिद्ध अभियुक्तगण का कथन है कि अभियुक्तगण की यह प्रथम दोषसिद्धि है। मामला 1993 का है। 2 अभियुक्तगण की तो मृत्यु भी हो चुकी है। अभियुक्तगण अपने अपराध के लिए दुखी हैं। अतः मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिचीक्षा पर छोड़ा जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्कों का विरोध करते हुए कहा है अभियुक्तगण को दंडित किया जाना चाहिए ताकि समाज में उचित संदेश प्रेषण के साथ लोगों का विश्वास न्याय में बढ़े।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला 1993 से न्यायालय में लंबित है। इसका तात्पर्य है कि अभियुक्तगण को अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा इस मामले के विचारण में लगाना पड़ा। इस बात से भी न्यायालय मुंह नहीं मोड़ सकता कि किसी व्यक्ति के लिए एक तारीख पर न्यायालय आना एक सामान्य दिनचर्या में नहीं आता है। न्यायालय में उपस्थित होना अपने आप में एक शारीरिक और मानसिक श्रम है जिसको दंड के समय विचार में लेना न्यायालय के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य भी है।

इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है भारतीय दंड विधि सुधारात्मक सिद्धांत पर कार्य करती है। यहां विधि का मुख्य उद्देश्य अपराधी का सुधार करना और उसे एक अच्छा नागरिक बनाना होता है। अपराध एक व्याधिकृत पथ भ्रष्टता है, अपराधी का साधारणतया उद्धार किया जा सकता है। न्यायालय को प्रतिशोध की बजाय पुनर्वास कराने का प्रयास करना चाहिए। निम्न मनःसंस्कृति जो समाज विरोधी आचरण की ओर ले जाती है, का निराकरण असम्यक निर्दयता से नहीं अपितु संस्कृतिकरण से करना है। इसलिए दंडशास्त्र में दिलचस्पी का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उसका उद्देश्य समाज के लिए उसका उद्धार करना है। आज के युग में दंडादेश मनुष्य के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया है इसलिए मेरे विचार में न्यायालय को दंड के समय एक चिकित्सीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति का बंदी बनाया जाना उसके मस्तिष्क को मरोड़ देता है।

राकेश बनाम बी. एल. विग, सुपरिटेण्डेंट सेंट्रल जेल, तिहाड़, ए.आई. आर. 1981, एस. सी. 1967 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कथन किया गया है कि दंडादेश का दंडिक प्रयोजन सुधारात्मक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय दोषसिद्ध अभियुक्तगण को परिचीक्षा पर छोड़ना समीचीन समझता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्तगण उमेश, दिनेश और मुन्नालाल को 20-20 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के एक-एक प्रतीभू निष्पादित करने पर 2 वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण की परिचीक्षा पर छोड़ा जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह प्रत्येक 4 माह बाद प्रथम सप्ताह में जिला परिचीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होंगे और इस

अवधि के दौरान परिशांति बनाए रखेंगे और सदाचारी रखेंगे और किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान यदि अभियुक्तगण एका गांव से कहीं अन्यत्र निवास करने जाते हैं तो उन्हें इससे सम्बन्धित सूचना जिला परिवीक्षा अधिकारी को देनी होगी।

यदि किसी भी अभियुक्त द्वारा परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो यह परिवीक्षा आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा और अभियुक्त/ अभियुक्तगण को दंड के प्रश्न पर सुना जायेगा।

इस आदेश की एक प्रति अविलम्ब जिला परिवीक्षा अधिकारी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए। प्रत्येक अभियुक्त को भी निर्णय की एक एक प्रति निशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

दिनांक 31-03-2021


(प्रज्ञा पाराशर)
31/3/21

अपर सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2 , शिकोहाबाद, फ़िरोजाबाद

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

दिनांक 31-03-2021


(प्रज्ञा पाराशर)
31/3/21

अपर सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट सं-2 , शिकोहाबाद, फ़िरोजाबाद